परिशिष्ट [3/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 1488]

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 04.02.2022

क्रमांक / 78 / 168 / स्व.वि./आउशि/योजना/2022, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 31.01.2022 को प्रदेश के एकल एवं द्वि-संकायी संस्थानों के संबंध में यह निर्देशित किया गया है कि जहां स्नातक स्तर में एकल एवं द्वि-संकाय संचालित हैं, ऐसे शासकीय महाविद्यालयों को बहुसंकायी बनाया जाये।

उच्च शिक्षा द्वारा जारी पत्र क्रमांक 331 / 1569 / 2007 / 2 / 38, दिनांक 18.02.2008 में जनभागीदारी समितियों द्वारा स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत उल्लेखित 15 बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करने की शर्त के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय कला / वाणिज्य / विज्ञान प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- शासनादेश की प्रति

(दीपक सिंह)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कमांक / 79 / 169 / आउशि / योजना / 2022 — भोपाल, दिनांक 04.02.2022

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग (मंत्रालय), भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त कुल सचिव, ... विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24 (x) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वि.क.अधि. प्रभारी (आई.टी. सेल) की ओर भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर उक्त को अपलोड करने हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश